न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 95/2019

1. मोनिका गुप्ता पुत्री सत्य नारायण गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए</u>

--निर्णय-- दिनांक : २६/११/२०१९

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105/105 के मु.न. 38 के किला न. 17 ता 24 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। सी.सी.ए में उक्त रकबा नहरी दर्ज है। अतः उक्त रकबा बारानी से नहरी दर्ज किया जावे। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ चक 23 की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105 के मु.न. 38 के किला न. 17 ता 25,वं इसी चक के खाता संख्या 182 के मु.न.38 के किला न. 1 ता 16 की प्रस्तुत की एवं सीसीए स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति, पर्ची बाराबन्दी (पानी की पर्ची) , जल उपयोक्ता संगम फूसेवाला का दिनांक 12.09.2019 को जारी किया गया प्रमाण पत्र एवं चक 23 एफ का नामान्तरण संख्या 56, 57,317 तथा चक 23 की जमाबन्दी सम्वत 2047 ता 50 के खाता संख्या 50 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल चक 23एफ, जमाबन्दी सम्वत 2030 ता 33 के खाता संख्या 49 की प्रमाणित प्रति पेश की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्री करणपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांकः टीआरए/ 648 दिनांक 13.11.2019 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 23 एफ के मु.न. 38/32 के किला न. 17 ता 24 की कुल 8 बीघा भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार नियमों के तहत मनोहर लाल पुत्र खूबचन्द को आदेश क्रमांक 1818 दिनांक 21.02.1973 को आवंटित हुई थी। राष्ट्रपति भारत सरकार नियमों के तहत आवंटित भूमि पर बारानी से नहरी दर्ज की अन्तर राशि वसूली का प्रावधान नहीं है। अतः इस प्रकरण में कोई अन्तर राशि देय नहीं है। उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किया जाना उचित है। तहसीलदार श्री करणपुर की रिपोर्ट के साथ सलग्न पटवारी हलका 27 एफ कमीनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार चक 23 एफ के मु.न. 38 के किला न. 17 ता 24 में मौका पर पानी लग रहा है। तथा मौके पर किनू का बाग लगा हुआ है। वर्तमान में उक्त रकबा मोनिका गुप्ता पुत्री सत्यनारायण जाति अग्रवाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है।

बहस सुनी गई प्रार्थीया ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105/105 के मु.न. 38 के किला न. 17 ता 24 की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड बारानी से नहरी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार प्रार्थिया के नाम दर्ज चक 23 एफ के मु.न. 38/32 के किला न. 17 ता 24 की कुल 8 बीघा बारानी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज किया जाना उचित है। कोई अन्तरराशि देय नहीं है। पटवारी हलका 27 एफ कमीनपुरा की रिपोर्ट के अनुसार चक 23 एफ के मु.न. 38 के किला न. 17 ता 24 में मौका पर पानी लग रहा है। किनू का बाग लगा हुआ है। जल उपयोक्ता संगम फूसेवाला के प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त रकबा की पानी की पर्ची मोनिका गुप्ता के नाम से है। व रकबा सिंचित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105/105 के मु.न. 38 के किला न. 17 ता 24 की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक २६/११/१९ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगगानगर

मूलचन्द लूणिया
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.

मोनिका गुप्ता वनाम राजस्थान सरकार
दावा 88आरटीए मुकदमा नं0 15/2019
निर्णय दिनांक :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 105/105 के मु.न. 38 के किला न. 17 ता 24 की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड बारानी से नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। **रहन बदस्तुर रहे।** उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 26/11/2019 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मूलचन्द लूणिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुहर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

मुहर

(मूलचन्द लूणिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

क्रमांक: राजस्व/ 2019/ 553

दिनांक: 26/11/2019

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

मुहर

(मूलचन्द लूणिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.11.29 15:23:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: